न्यायालय जिला निर्वाचन अधिकारी(जिला कलेक्टर)टोंक
(गौरव अग्रवाल, आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्यां 05/2021
प्रविष्टि दिनांक 12–1–2021

1–विनोद कुमार पुत्र भवंर लाल जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं. 23 चौबीयो की हवेली के पास मालपुरा जिला टोक राज0

.........अपीलाण्ट

बनाम

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) मालपुरा जिला टोंक राज0

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद आदेश निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) मालपुरा

उपस्थिति:– 1– अपीलान्ट

निर्णय **दिनाक 14.01.2021**

अपील का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने नगरपालिका मालपुरा के वार्ड संख्या–23 की निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित किये जाने के लिए प्ररूप–3 में प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र को रेस्पोडेन्ट द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया, जिसे निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेन्ट से अपील पर बिन्दुवार टिप्पणी/जवाब मय संबंधित रिकार्ड के तलब किया गया। प्रकरण में अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी वार्ड नं. 18 नया वार्ड नं. 23 का मूल निवासी है। प्रार्थी का मकान भी इसी वार्ड में स्थित है। प्रार्थी का आधार कार्ड, बैंक डायरी मूल निवास प्रमाण पत्र नगर पालिका का अदय प्रमाण पत्र दिनांक 10.01.2021 पहचान पत्र, सभी मूल दस्तावेज इसी वार्ड के बने हुए है। अपीलांट का नाम ग्राूम पंचायत ब्रजलाल नगर में अंकित था। प्रार्थी ने नाम हटवाने के लिंये बी. एल. ओ. साहब को प्रार्थना पत्र भी पेश किया था,लेकिन बी. एल.ओ. साहब ने यह कहते हुए कि अभी ग्राम पंचायत के नाम ना तो कट सकते है ना ही जुड़ सकते है। लेकिन प्रार्थी का नाम विधानसभा व लोक सभा में मतदान मालपुरा कस्बे में ही किया गया। प्रार्थी के आवेदन की जांच हल्का पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक मालपुरा से जांच करवाई गई थी। जिसमें भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम नये वार्ड के परिसीमन के अनुसार वार्ड नं. 23 जो कि पूर्व में वार्ड नं. 18 था उसके स्वयं के शपथ पत्र व आधार कार्ड तथा निर्वाचन पत्र वार्ड पार्षद के प्रमाण पत्र के आधार पर वार्ड नं. 23 में ही निवास होना पाया जाने से नाम जोडने योग्य की रिपोर्ट की थी जो शामिल फार्म में अंकित है। फिर भी माननीय निर्वाचन अधिकारी मालपुरा द्वारा इन सभी तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए कानूनी तथ्यों की भूल की है। और उप जिला निर्वाचन अधिकारी मालपुरा ने पत्रावली पर उ[illegible]विपरीत जाकर प्रार्थी का नाम जुडवाने हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र को गलत [illegible] स्वीकार किया है जो विधि विरूद्ध है तथा अपास्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:09:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

हमने अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया एंव निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) मालपुरा के जवाब तथा संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया। अपीलाण्ट ने मालपुरा के वार्ड संख्या–23 की निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित किये जाने के लिए प्ररूप–3 में प्रस्तुत किये गये। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान के निर्देश हैं कि यदि आवेदक की शहरी एंव ग्रामीण क्षेत्र दोनों में भूमि या भवन आदि है तो सामान्यतः निवास विषयक विधिक बाध्यता के परीक्षण में इस तथ्य पर गहन विचार किया जावे कि क्या आवेदक द्वारा दूसरे स्थान से सम्बन्धित किसी सस्था(पंचायतीराज/नगरीय निकाय के)हाल ही में समपन्न हुए चुनाव में नाम निर्देशन पत्र तो प्रस्तुत नहीं किया गया है, तथा आवेदक का नाम अन्य संस्था/क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पूर्व से ही दर्ज तो नहीं है। समूचित जॉच परीक्षण के उपरान्त केवल उन्ही आवेदनों को स्वीकार कर नाम जोड़े जावे जो विधिक प्रावधानों के अनुसार सामान्यत निवास विषयक प्रावधान के अनुसार योग्य है गहन जॉच का अभिन्न अंग है दूसरे पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देना। उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय में अंकित किया गया है कि अपीलान्ट की धर्मपत्नि शशीकला ने ग्राम पंचायत बृजलाल नगर मे चुनाव लडा है,जिसका नाम ग्राम पंचायत कि मतदाता सूचि मे वार्ड नं. 12 मे कम संख्या 413 पर अंकित है। आयोग के निर्देशानुसार आवेदन निरस्त किया जाता है। जबकि अपीलान्ट का कथन है कि हमे सुनवाई का तथा सबूत दस्तावेज पेश करना का अवसर नहीं दिया गया है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) मालपुरा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित(रिमाण्ड) की जाती है कि प्रकरण में अविलम्ब अपीलान्ट के प्रतिवेदन की जॉच किसी तहसीलदार स्तर के अधिकारी से करवाकर व अपीलान्ट को सुना जाकर तथा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन कर पुनःनिर्णय पारित करे।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर
टोंक

सत्यमेव जयते
जिला कलेक्टर
टोंक (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:09:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner